भारत में डीपफेक और एआई को विनियमित करना

द हिंदू

पेपर-III (विज्ञान-प्रौद्योगिकी एवं आंतरिक सुरक्षा)

पिछले महीने अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिससे नेटिजन्स के बीच सदमे और भय का मिश्रण पैदा हो गया। सेकंड-लंबी क्लिप, जिसमें मंदाना की समानता दिखाई गई थी, को डीपफेक तकनीक का उपयोग करके हेरफेर किया गया था। डीपफेक डिजिटल मीडिया, वीडियो, ऑडियो और छवियां हैं, जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग करके संपादित और हेरफेर किया जाता है। चूंकि उनमें अति-यथार्थवादी डिजिटल मिथ्याकरण शामिल है, इसलिए उनका उपयोग संभावित रूप से प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और लोकतांत्रिक संस्थानों में विश्वास को कम करने के लिए किया जा सकता है। इस घटना ने राजनीतिक संदेश में भी प्रवेश कर लिया है, जो अगले साल होने वाले आम चुनावों से पहले एक चिंता का विषय है।

क्या राजनीति में डीपफेक का इस्तेमाल हुआ है?

2020 में, राजनीतिक अभियानों में एआई-जनित डीपफेक के पहले उपयोग में, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता मनोज तिवारी के वीडियो की एक श्रृंखला कई व्हाट्सएप समूहों पर प्रसारित की गई थी। वीडियो में श्री तिवारी को दिल्ली चुनाव से पहले अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अंग्रेजी और हरियाणवी में आरोप लगाते हुए दिखाया गया है। इसी तरह की एक घटना में, मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख कमल नाथ का एक छेड़छाड़ किया गया वीडियो हाल ही में वायरल हुआ, जिससे राज्य सरकार की लाडली बहना योजना के भविष्य पर भ्रम पैदा हो गया।

अन्य देश भी तेजी से विकसित हो रही एआई तकनीक के खतरनाक परिणामों से जूझ रहे हैं। पिछले साल मई में, साइबर अपराधियों द्वारा एक यूक्रेनी टेलीविजन चैनल को हैक करने के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की द्वारा अपने देशवासियों से हथियार डालने के लिए कहने का एक डीपफेक वायरल हो गया था।

डीपफेक तकनीक कैसे उभरी?

एआई और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों का उपयोग करके डीपफेक बनाए जाते हैं, जो कल्पना और वास्तविकता के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देते हैं। हालाँकि इनसे शिक्षा, फिल्म निर्माण, आपराधिक फोरेंसिक और कलात्मक अभिव्यक्ति में लाभ होता है, लेकिन इनका उपयोग लोगों का शोषण करने, चुनावों में तोड़फोड़ करने और बड़े पैमाने पर गलत सूचना फैलाने के लिए भी किया जा सकता है । जबकि फोटोशॉप जैसे संपादन उपकरण दशकों से उपयोग में हैं, डीपफेक तकनीक का पहली बार उपयोग कथित तौर पर एक Reddit उपयोगकर्ता से पता लगाया जा सकता है, जिसने 2017 में अश्लील सामग्री बनाने के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध AI-संचालित सॉफ्टवेयर का उपयोग किया था। आम लोगों के शरीर पर मशहूर हस्तियों के चेहरे।

अब, अर्ध-कुशल और अकुशल व्यक्तियों द्वारा ऑडियो-विजुअल क्लिप और छवियों को कार्फ करके आसानी से डीपफेक तैयार किया जा सकता है। जैसे-जैसे ऐसी तकनीक का पता लगाना कठिन होता जा रहा है, व्यक्तियों को उनके दुरुपयोग से बचाने के लिए अब अधिक संसाधन

उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) ने छोटे जटिल विवरणों पर ध्यान केंद्रित करके लोगों को डीपफेक की पहचान करने में मदद करने के लिए डिटेक्ट फेक वेबसाइट बनाई। ऑनलाइन लैंगिक हिंसा को अंजाम देने के लिए डीपफेक का उपयोग भी एक बढ़ती चिंता का विषय रहा है। एआई फर्म डीपट्रेस द्वारा किए गए 2019 के एक अध्ययन में पाया गया कि आश्चर्यजनक रूप से 96% डीपफेक अश्लील थे, और उनमें 99% में महिलाएं शामिल थीं। महिलाओं के खिलाफ डीपफेक को कैसे हथियार बनाया जा रहा है, इस पर प्रकाश डालते हुए, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन (आईएफएफ) के संस्थापक निदेशक अपार गुप्ता कहते हैं, "रोमांटिक पार्टनर उन महिलाओं को शर्मिंदा करने के लिए डीपफेक तकनीक का उपयोग करते हैं, जिन्होंने उनकी प्रगति को ठुकरा दिया है, जिससे उन्हें सामाजिक स्वीकृति के अलावा मनोवैज्ञानिक आघात भी होता है। भुगतना ही पड़ेगा।"

डीपफेक के दुरुपयोग के खिलाफ क्या कानून हैं?

भारत में डीपफेक और एआई से संबंधित अपराधों को संबोधित करने के लिए विशिष्ट कानूनों का अभाव है, लेकिन कई कानूनों के तहत प्रावधान नागरिक और आपराधिक दोनों तरह की राहत प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आईटी अधिनियम) की धारा 66ई डीपफेक अपराधों के मामलों में लागू होती है, जिसमें किसी व्यक्ति की छवियों को बड़े पैमाने पर मीडिया में कैप्चर करना, प्रकाशित करना या प्रसारित करना शामिल होता है, जिससे उनकी गोपनीयता का उल्लंघन होता है। ऐसे अपराध पर तीन साल तक की कैद या दो लाख का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा, आईटी अधिनियम की धारा 67, 67ए, और 67बी का उपयोग ऐसे डीपफेक को प्रकाशित करने या प्रसारित करने के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए किया जा सकता है जो अश्लील हैं या जिनमें स्पष्ट यौन कृत्य शामिल हैं। आईटी नियम, 'किसी भी ऐसी सामग्री को होस्ट करने पर भी रोक लगाते हैं जो किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण करती है' और अलर्ट होने पर सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को व्यक्तियों की 'कृत्रिम रूप से रूपांतरित छवियों' को तुरंत हटाने की आवश्यकता होती है। यदि वे ऐसी सामग्री को हटाने में विफल रहते हैं, तो वे 'सुरक्षित बंदरगाह(सुरक्षा खोने का जोखिम उठाते हैं - एक प्रावधान जो सोशल मीडिया कंपनियों को उनके प्लेटफार्मों पर उपयोगकर्ताओं द्वारा साझा की गई तीसरे पक्ष की सामग्री के लिए नियामक दायित्व से बचाता है।

डीपफेक से जुड़े साइबर अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रावधानों का भी सहारा लिया जा सकता है - धारा 509 (शब्द, इशारे, या किसी महिला की विनम्रता का अपमान करने का इरादा), 499 (आपराधिक मानहानि), और 153 (ए) और (बी) दूसरों के बीच (सांप्रदायिक आधार पर नफरत फैलाना)। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने कथित तौर पर मंदाना मामले में धारा 465 (जालसाजी) और 469 (किसी पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए जालसाजी) लगाकर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

क्या कोई कानूनी शून्यता है?

दिल्ली में विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी में फिनटेक प्रमुख शेहनाज अहमद कहते हैं, "मौजूदा कानून वास्तव में इस तथ्य को देखते हुए पर्याप्त नहीं हैं कि उन्हें इन उभरती प्रौद्योगिकियों को ध्यान में रखते हुए कभी भी डिजाइन नहीं किया गया था।" हालाँकि, वह चेतावनी देती हैं कि टुकड़ों में विधायी संशोधन लाना समाधान नहीं है। वह कहती हैं, "आज एक तरह की नैतिक घबराहट है जो इन हालिया हाई प्रोफाइल मामलों से उत्पन्न हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम बड़े सवाल से ध्यान भटक रहे हैं - एआई जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर भारत का नियामक दृष्टिकोण क्या होना चाहिए?" वह इस बात पर प्रकाश डालती हैं कि ऐसा नियामक ढांचा बाजार अध्ययन पर आधारित होना चाहिए जो एआई तकनीक से होने वाले विभिन्न प्रकार के नुकसान का आकलन करता है।

आईटी नियमों में एक खामी की ओर इशारा करते हुए, वह कहती हैं कि यह केवल उन मामलों को संबोधित करता है जिनमें अवैध सामग्री पहले ही अपलोड की जा चुकी है और परिणामी नुकसान उठाना पड़ा है; इसके बजाय, निवारक उपायों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा, उदाहरण के लिए, उपयोगकर्ताओं को जागरूक करना कि वे एक विकृत छवि देख रहे हैं।

इस बात पर सहमति जताते हुए कि मौजूदा कानूनों में सुधार की जरूरत है, श्री गुप्ता बताते हैं कि मौजूदा नियम केवल ऑनलाइन टेकडाउन या आपराधिक अभियोजन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन जेनरेटड एआई तकनीक कैसे काम करती है और इससे होने वाले नुकसान की विस्तृत श्रृंखला की गहरी समझ नहीं है। कारण। "कानून शिकायत दर्ज करने का पूरा बोझ पीड़ित पर डालता है। कई लोगों के लिए, स्थानीय पुलिस स्टेशनों के साथ उनका अनुभव उनकी जांच या अपराधी को किसी भी प्रकार के दंड का सामना करने के मामले में संतोषजनक से कम है," उन्होंने दावा किया।

केंद्र की प्रतिक्रिया क्या रही है?

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 23 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एआई कंपनियों और उद्योग निकायों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की, जहां उन्होंने स्वीकार किया कि "डीपफेक के कारण एक नया संकट उभर रहा है" और "एक बहुत बड़ा वर्ग है" इस मुद्दे से निपटने के लिए "जिस समाज के पास कोई समानांतर सत्यापन प्रणाली नहीं है"। उन्होंने यह भी घोषणा की कि सरकार इस मुद्दे के समाधान के लिए अगले 10 दिनों के भीतर मसौदा नियम पेश करेगी, जो सार्वजनिक परामर्श के लिए खुला होगा।

हालाँकि, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (MeitY) राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि अगर सख्ती से लागू किया जाए तो मौजूदा कानून डीपफेक से निपटने के लिए पर्याप्त हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी उल्लंघन की बारीकी से निगरानी के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाएगा और डीपफेक अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज करने में पीड़ित उपयोगकर्ताओं और नागरिकों की सहायता के लिए एक ऑनलाइन मंच भी स्थापित किया जाएगा। श्री गुप्ता बताते हैं, "MeitY द्वारा जारी की गई सलाह का कोई मतलब नहीं है, इसमें कानून की शक्ति नहीं है। यह अनिवार्य रूप से कुछ हद तक प्रतिक्रिया दिखाने के लिए है, यह देखते हुए कि रश्मिका मंदाना की वायरल क्लिप द्वारा जेनेरिक एआई को लेकर एक नैतिक दहशत है। यह इस तथ्य पर ध्यान नहीं देता है कि डीपफेक केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वितरित नहीं किया जा सकता है।

अन्य देशों का प्रदर्शन कैसा रहा है?

अक्टूबर 2023 में, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर गोपनीयता तक के जोखिमों के प्रबंधन के लिए एआई पर एक दूरगामी कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। इसके अतिरिक्त, हाल ही में कांग्रेस में पेश किए गए डीप फेक जवाबदेही विधेयक, 2023 में रचनाकारों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डीपफेक को लेबल करने और वीडियो या अन्य सामग्री में बदलाव की सूचनाएं प्रदान करने की आवश्यकता है। ऐसे 'दुर्भावनापूर्ण डीपफेक' को लेबल करने में विफल रहने पर आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। यूरोपीय संघ (ईयू) ने दुष्प्रचार पर अपनी आचार संहिता को मजबूत किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि Google, मेटा और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया दिग्गज डीपफेक सामग्री को चिह्नित करना शुरू कर दें या संभावित रूप से जुर्माना का सामना करें। इसके अलावा, प्रस्तावित ईयू एआई अधिनियम के तहत, डीपफेक प्रदाता पारदर्शिता और प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अधीन होंगे।

आगे क्या?

श्री गुप्ता के अनुसार, भारत में एआई प्रशासन को केवल एक कानून तक सीमित नहीं किया जा सकता है और सुधारों को सुरक्षा के मानकों की स्थापना, जागरूकता बढ़ाने और संस्थान निर्माण के आसपास केंद्रित होना होगा। वे कहते हैं, "एआई लाभ भी प्रदान करता है, इसलिए आपको इसे इस तरह से आत्मसात करना होगा कि इससे आने वाली चुनौतियों को सीमित करते हुए हर मीट्रिक पर मानव कल्याण में सुधार हो।" सुश्री अहमद बताती हैं कि भारत की नियामक प्रतिक्रिया चीन, अमेरिका या यूरोपीय संघ जैसे अन्य न्यायक्षेत्रों के कानूनों की प्रतिकृति नहीं हो सकती है। "हमें भारतीय संदर्भ को भी ध्यान में रखना होगा जो यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था अभी भी विकसित हो रही है। हमारे पास एक युवा और संपन्न स्टार्टअप इको-सिस्टम है और इसलिए किसी भी प्रकार की विधायी प्रतिक्रिया इतनी कठोर नहीं हो सकती है कि यह नवाचार में बाधा डाले," वह कहती हैं।

संभावित प्रश्न (Expected Question)

प्रश्न : डीपफेक को लेकर मौजूद अंतर्राष्ट्रीय नियमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर गोपनीयता तक के जोखिमों के प्रबंधन के लिए एआई पर एक दूरगामी कार्यकारी आदेश लाया गया है।
2. डीपफेक से जुड़े साइबर अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में कोई प्रावधान नहीं है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2

(d) ना तो 1 और न ही 2

Que. Consider the following statements in the context of international regulation regarding deepfakes:

1. A far-reaching executive order on AI has been brought in the US to manage risks ranging from national security to privacy.
2. There is no provision in the Indian Penal Code (IPC) for cyber crimes related to deepfakes.

Which of the statements given above is/ are correct?

(a) Only 1

(b) Only 2

(c) Both 1 and 2

(d) Neither 1 nor 2

उत्तर : c

संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्न : डीपफेक खतरनाक क्यों हैं? राजनीतिक अभियानों में गलत सूचना फैलाने के लिए डीपफेक का उपयोग कैसे किया जा रहा है? विशेषज्ञों के अनुसार नियामक प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए?

उत्तर का दृष्टिकोण :-

- उत्तर के पहले भाग में डीपफेक के खतरे और राजनीतिक अभियानों में डीपफेक के उपयोग की चर्चा करें।
- दूसरे भाग में डीपफेक के समाधान हेतु नियामक प्रतिक्रियाओं की चर्चा करें।
- अंत में संक्षिप्त निष्कर्ष दें।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।